मध्यप्रदेश में

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कृषि विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, प्रदेश के कृषकों के हित में रबी 1999–2000 से लागू की गई है।

उद्देश्य – इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नश्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। **इस वर्ष यानि खरीफ 2006 से इस योजना में क्षति आंकलन की इकाई प्रदेश सरकार के भरसक प्रयासों से तहसील के स्थान पर पटवारी हल्का कर दी गई है।**

फसल अधिसूचित करने का आधार – इस योजना में विगत वर्षों के औसत उपज के आंकडें जिन फसलों के फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपलब्ध होते हैं उन्हीं फसलों को राज्य शासन द्वारा अधिसूसचित किया जाता है ।

थ्रेश होल्ड उपज – उपरोक्त आधार पर विगत वर्षो की जो औसत उपज प्राप्त होती है उसके आधार पर बीमा कम्पनी प्रति मौसम थ्रेश होल्ड उपज निर्धारित करती है. इसके निर्धारण का आधार क्षतिपूर्ति का स्तर रहता है, जो भारत शासन द्वारा निर्धारित होता है. प्रायः क्षतिपूर्ति का स्तर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक फसलवार निर्धारित होता है।

योजना का कियान्वयन – इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों के लिए कृषकों की फसलों का बीमा किया जाता है. अऋणी कृषकों हेतु योजना स्वैच्छिक है। उन्हें अपने नजदीकी सहकारी/ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर खाता खुलवाना होता है। यहां अधिसूचित फसल के लिये प्रीमियम राशि जमा कर, वे अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, ऋणी कृषकों के लिए योजना में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

फसलें – प्रदेश में प्रत्येक मौसम हेतु फसलों को अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलें धान (सिंचित/असिंचित) तुअर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, कोदो कुटकी, केला एवं कपास है एवं रबी मौसम में गेहूं (सिंचित / असिंचित) चना, अलसी, राई–सरसो व आलू तथा प्याज हैं।

इकाई – खरीफ मौसम में धान सिंचित/ असिंचित, तुअर एवं सोयाबीन के लिये **पटवारी हल्का** इकाई घोषित किया गया है. शेष फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, कपास, केला, मूंगफली एवं तिल तथा रबी में गेहूं, चना एवं सरसों, आलू, प्याज फसलों के लिये इकाई अभी तहसील है।

प्रीमियम – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खाद्य फसलों में खरीफ में बाजरा एवं तिलहनी फसलों के

लिये बीमित राशि का 3.50 प्रतिशत अन्य खरीफ फसलों के लिये बीमित राशि का 2.50 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, प्रीमियम देय है।

रबी मौसम में गेहूं के लिये 1.50 प्रतिशत अन्य रबी फसलों के लिये 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो प्रीमियम के रूप में अदा करना होता है।

नगदी फसलों में कपास के लिये प्रीमियम 7.80 प्रतिशत एवं उद्यानिकी में केले के लिये प्रीमियम दर 1.40 प्रतिशत एवं प्याज के लिये 2.75 प्रतिशत है।

भुगतान की प्रकिया – अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित इकाई पटवारी या तहसील हल्का पर जिन किसानों द्वारा बैंकों से बीमा कराया होता है, उस इकाई पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर थ्रेश होल्ड उपज की गणना के आधार पर दावों का निर्धारण किया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि निर्धारित इकाई पर यदि दावे बनते हैं तो उस इकाई में सम्मिलित सभी कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

अपेक्षा – खेती के व्यवसाय में दिनों दिन मौसम की अनहोनी से जोखिम का विस्तार हो रहा है। इस स्थिति में सभी किसान भाईयों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अपनाना बहुत आवश्यक हैं।

कृषि विभाग मध्यप्रदेश द्वारा लोक हित में प्रसारित

कृ.मु.भो./47/10,000/2006 कृषि विभाग, म. प्र. भोपाल